

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253711  
SG-DL-E-15042024-253711असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 13
No. 117]	DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 13

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

घोषणा पत्र

(फार्म-V)

फा. सं. एडीएम/एलएसी/एसई/2023/05/ख.सं.221/भाग-II/28.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (मुआवजा, पुनर्वास और पुनःस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम सं. 10 के अनुसार] के अंतर्गत गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 221/2/1(459.192 वर्ग मीटर) और खसरा संख्या 221/2/3 (709.901 वर्ग मीटर), कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) सराय कालेखां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के निर्माण हेतु भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में घोषणा।

जबकि सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ सराय कालेखां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु याम-नांगली रजापुर उपमंडल डिफेंस कॉलोनी, जिला दक्षिण-पूर्व दिल्ली में कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) भूमि अपेक्षित है।

इसलिए घोषणा की जाती है की उपयुक्त परियाजना के लिए अर्जन के अधीन एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) है जो ग्राम नांगली रजापुर, उपखंड डिफेंस कॉलोनी, जिला दक्षिण पूर्व दिल्ली में है एवं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्र.सं	सर्वेक्षण संख्या/खसरा न.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
1.	221/2/1	शामलात तरफ	यमुना	(459.192 वर्ग मीटर )	शामलात तरफ थोक हीरा सिंह और थोक रामबक्श वडीडीए/सरकार।	खसरा संख्या 221/3	खसरा संख्या 221/2/2	खसरा संख्या NIL	खसरा संख्या 61
2.	221/2/3	शामलात तरफ	यमुना	(709.901 वर्ग मीटर)	शामलात तरफ थोक हीरा सिंह और थोक रामबक्श वडीडीए/सरकार।	खसरा संख्या 221/2/2	खसरा संख्या 221/1 जीम	खसरा संख्या 221/1	61
				कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर)					

वृक्ष		
खसरा न.	प्रकार	संख्या
221/2/1	बकायन	05
	नीम	01
	टीक	05
	शहतूत	02
221/2/3	नीम	04
	बकायन	09
	पीपल	03
	शहतूत	04
	शीशम	01
Total =34		

संरचना	
प्रकार	संख्या
शून्य	शून्य

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जाँच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनर्वासित होने वाले परिवारों की संख्या 'शून्य' है और इसलिए पुनर्वास की कोई

आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की कोई खदान नहीं है जिसे खोदा जाए या खोदने की अनुमति दी जाए।

भूमि की योजना का निरीक्षण कलेक्टर, दक्षिण-पूर्व के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है और यह मंडल आयुक्त (राजस्व) और जिला मजिस्ट्रेट, (दक्षिण-पूर्व) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

### पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

अश्विनी कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)/ मंडलायुक्त

### पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के लिए सारांश

1. परियोजना का नाम	(खसरा संख्या 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर) 221/2/3 (709.901 वर्ग मीटर), कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) परियोजना का तीसरा चरण, सराय काले खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए
2. संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 10/01/2024 के समय प्रस्तावित भूमि पार्सल में कोई वैध कच्ची झोपड़ी या मोटे तौर पर निर्मित आश्रययासंरचना नहीं पाए गए। जमाबंदी में खसरा न. 221 के सामने यमुना दर्ज है। किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हुआ है। तदनुसार, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता नहीं है।	

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 15th April, 2024

### DECLARATION

#### Form V

**F. No. ADM/LAC/SE/2023/05/KH.No.221/Part-II/28.**— The Declaration under Section 19 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015) regarding the proposed acquisition of land bearing khasra no.221/2/1 (459.192Sqm.) and khasra no.221/2/3 (709.901 Sqm.) total land measuring 1169.093 Sqm. (0.116901 Hectares) in village NangliRazapur for construction of 3rd Phase of Elevated Road on BarapullaNallah from Sarai Kale Khan to MayurVihar, Delhi.

Whereas it appears to the Government that a total land of measuring 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectares) is required in the Village-NangliRazapur, Sub-Division Defence Colony, District South-East, Delhi for the public purpose, namely 3rd Phase of Elevated Road on BarapullaNallah from Sarai Kale Khan to MayurVihar, Delhi.

Therefore, the declaration is made that a piece of land measuring 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectares) is under acquisition for the above said project in the Village NangliRazapur. Sub-Division. Defence Colony, District South-East, whose detailed description is as follows: -

Sl. No	Survey No./Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition	Name/address of person interested	Boundaries			
						N	S	E	W
1.	221/2/1	ShaamlatTaraf	Yamuna	(459.192 Sqm)	Shaamlat Taraf Thok Hira Singh &ThokRambaksh	221/3	221/2/2 (PantoonPul	Nil	61

					etc. and DDA /Govt.		Road)		
2.	221/2/3	ShaamlatTaraf	Yamuna	(709.901 Sqm.)	ShaamlatTaraf Thok Hira Singh &ThokRambaksh etc. and DDA /Govt.	221/2/2	221/1 (Jeem)	221/1	61
				Total 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectare)					

Trees		
Khasra No.	Variety	Number
221/2/1	Bakayan	05
	Neem	01
	Teek	05
	Shehtoot	02
221/2/3	Neem	04
	Bakayan	09
	Peepal	03
	Shehtoot	04
	Sheesham	01
<b>Total =34</b>		

Structure	
Variety	Number
Nil	Nil

This declaration is being made after hearing of objections of persons interested and after due enquiry as provided u/s 15 of RFCTLARR Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is 'NIL' and as such no Resettlement is needed. Further, there are no Mines of Coal, Iron-Stone, Slate or other minerals which are to be dug or permitted to be dug.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, South-East on any working day and the same shall also be available on the website of the Divisional Commissioner (Revenue) and the District Magistrate, (South-East), Delhi.

**A summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme is appended.**

ASHWINI KUMAR , ACS (Revenue)/Divisional Commissioner

#### **SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME**

<b>1. Name of Project</b>	<b>3rd Phase of the Project, for Construction of Elevated Kh No.221/2/1(459.192Sqm.) &amp;Kh No.221/2/3 (709.901Sqm.) Road over the BarapullahNallah starting from Sarai Total 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectare) Kale Khan to MayurVihar, New Delhi</b>
<b>1. In the proposed land parcel no legal kachcha huts or roughly built shelters or structures were found at the time of joint survey dated 10/01/2024. Yamuna is mentioned against khasra no. 221 in Jamabandi. There is no displacement of any person. Accordingly, no rehabilitation and resettlement is required in connection with acquisition of land for the project.</b>	